तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 213/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/09/23	अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनीनिवासी मु.पो. जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30/06/23 में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर के पत्रांक सतर्कता/संस्था/जांच/2023/143 दिनांक 06.04.2023 में पीड़ीत प्रतिवादी द्वारा चाही गयी सूचना के क्रम में तहसीलदार, जोधपुर को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर के पत्र दिनांक 03.11.2022 को खसरा संख्या 46 की खातेदारी निरस्त करने बाबत पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा तहसीलदार, जोधपुर को 3 दिन में उक्त दस्तावेज भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया, उक्त पत्र पर आप द्वारा की गई विभागीय कार्यवाही के सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	